

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।  
 न्यायालय संख्या :- 20 / 2024

छगना देवी बनाम हसनपुरा ए गृह निर्माण

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.01.2024	<p>प्रार्थी की ओर से वकील जितेन्द्र कुमार गोतम में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 11.03.2024 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम बाडापदमपुरा के खसरा नंबर 308, 309, 310 कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 है 0 वाके ग्राप बाडापदमपुरा पटवार हल्का बाडापदमपुरा तहसील चाकसू का नौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की टोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी।</p> <p>पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 11.03.2024 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 चाकसू (जयपुर)  
 उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

11/3/24

अध्यक्ष न्यायालय  
 न्यायालय, चाकसू (जयपुर)  
 दिनांक 11/3/24 को पेश हो।  


131524 पहावली जसा हुरी वरीच जर्गी व ल्ययं प्राण  
की गायकाल 6PM तक 'बार - बार आवाज  
लगाने के बावजूद टापीर अदावत नहीं' का  
न ही प्राण मीअरु के अन्य मरई टापीर अदावत  
आए। अतः प्रा. यह अदम टापीर ल्यं  
आदर केरवी में खारिज किया जाता है।  
पहावली वादकमील दाविल दप्टरध

(2)  
उप. न. ज. यो. न. का. (1)